प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.02.2026

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:-दिनांक 15.02.2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भड़काऊ टिप्पणी कर धार्मिक स्थल के बाहर लगे पत्थर को तोड दिया गया, जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धारा 298,299 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.08.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व मैनुअल इनपुट के माध्यम से उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त प्रिंस ठाकुर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी सी ब्लाक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रिंस ठाकुर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी सी ब्लाक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 19.01.2026 को वादी सचिन शर्मा निवासी सूर्या एन्क्लेव, निवाडी रोड थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की ई-एफआईआर के माध्यम से प्राप्त शिकायत कि उनकी मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेंडर को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 16.02.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त सरफराज पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम भवी थाना जानी जनपद मेरठ उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे द्वारा पहले भी अपने गांव से 02 मोटर साईकिलें चोरी की थी, जिनको मेरे घरवालों ने जिनकी मोटर साईकिल थी उन्हे वापस करा दिया था। उनके द्वारा कोई मुकद्दमा मेरे ऊपर नहीं लिखाया गया था। फिर मेरे द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को सुर्या एन्क्लेव निवाडी रोड से चोरी कर लिया गया था जो आज मुझसे बरामद हुई है ये वही मोटर साईकिल है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सरफराज पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम भवी थाना जानी जनपद मेरठ, उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।